

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 372] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29, 1980/अग्रहायण 8, 1902
No. 372] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 29, 1980/AGRAHAYANA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

अम मंत्रालय

अधिदूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1980

सा. का. नि. 665(अ) - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1)
के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (पंचम संशोधन)
स्कीम, 1980 है।

994 GI/80

(1371)

Attested

शुभम
विशेष अधिकारी
राज्य सरकार, महात्मा विद्या
समिति कार्यालय, दिल्ली-54 21/11/80

2. कर्मचारी भविष्य निधि सन्धि, 1952 के पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (एक्स सी आई) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(एक्स सी 2) ईट उद्योग, अर्थात् भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 662(इ) तारीख 27-11-1980 में विनिर्दिष्ट, ईटों के विनिर्माण में लगे हुए किसी उद्योग की बाबत 30 नवम्बर, 1980 को प्रभावी होगी।”

[एस-35016(5)/76-पी. एफ.-2 (2)]

नवीन चावला, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 1980

✓ G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 1980.


2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, after sub-clause (XCI) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(XCII) as respects the Brick Industry, that is to say, any industry engaged in the manufacture of Bricks, specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 662(E), dated the 27th November, 1980, come into force on the 30th November, 1980.”

[S-35016(5)/76-PF-II(ii)]

NAVIN CHAWLA, Dy. Secy.

Attested


नवीन चावला, अपर सचिव
विनिर्माण, दिल्ली-20 21/11/80